

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(40) वित्त/बीमा/2024

जयपुर, दिनांक 09.10.2024

आज्ञा

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.09.2024 की अभिशंभा पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में स्थायी रूप से नियुक्त निम्नांकित पर्यवेक्षकों को वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में सहायक निदेशक के पद पर राज्य हित में उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. स.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1..	श्री रूपा डिंडोर	पर्यवेक्षक, बांसवाडा	सहायक निदेशक, राजसमन्द	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
2.	श्री सुरेश कुमार मौसलपुरी	पर्यवेक्षक, जोधपुर शहर	सहायक निदेशक, जोधपुर शहर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
3.	श्री भंवर लाल जल	पर्यवेक्षक, बीकानेर	सहायक निदेशक, चूरु	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
4.	श्री सत्यनारायण माथुर	पर्यवेक्षक, जोधपुर ग्रामीण	सहायक निदेशक, नागौर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
5.	श्री प्रकाश सिंह देवडा	पर्यवेक्षक, जोधपुर शहर	सहायक निदेशक, जोधपुर शहर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
6.	श्री वासुदेव थानवी	पर्यवेक्षक, जैसलमेर	सहायक निदेशक, जैसलमेर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
7.	श्री रतनपुरी	पर्यवेक्षक, पाली	सहायक निदेशक, जालौर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
8.	श्री धनराज खींची	पर्यवेक्षक, जोधपुर शहर	सहायक निदेशक, जोधपुर संभाग	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
9.	श्री अरविन्द जोशी पुत्र श्री नन्द किशोर	पर्यवेक्षक, चित्तौडगढ	सहायक निदेशक, चित्तौडगढ	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
10.	श्री महेन्द्र कुमार तिवाडी	पर्यवेक्षक, मुख्यालय जयपुर	सहायक निदेशक, जयपुर ग्रामीण	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
11.	श्री रजनीश कुमार शर्मा	पर्यवेक्षक, कोटा	सहायक निदेशक, दौसा	पदोन्नति पर रिक्त पद पर

राज्यपाल की आज्ञा से



(धनलाल शरावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया, (वित्त)
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

9/10/24